फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

भेरूलाल मेघवाल बनाम भैरूलाल आदि

धारा 251 A ...... वाद/प्रा0प0/अपील प्र0सं0 43/17

13/6/17 वाद जॉच वाद/प्रा0प0/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रकियानुसार विपक्षीगणो/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 19/6/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

28.6.17 पत्रावली कोर्ट नोम्स मंगरोप पर पेश। वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रार्थी पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मंगरोप के आराजी नम्बर 520, 521, 522, 523 कुल किता 04 रकबा 5.17 बीघा भूमि प्रार्थी सं. 01 व आ.न. 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519 किता 8 रकबा 06-14 बिस्वा भूमि प्रार्थी सं. 02 की राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अधिकार है

प्रार्थीगण उक्त आराजी पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 540 आम रास्ते से होकर खसरा नम्बर 538 में प्रवेश होकर अपने खेत पर आते जाते रहे है परन्तु कुछ समय से खातेदार 538 ने रास्ता बंद कर दिया गया जिससे अपने खेत पर आने जाने की परेशानी हो रही है उक्त आराजी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है अतः नियमानुसार खुलवा दिया जाकर, आ.न. 538 से रास्ता दिलाया जावे।

उक्त के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें बताया गया कि वादीगण पूर्व में वादी समय से आ.न. 538, 539 में से होकर आते जाते थे वर्तमान में खातेदार ने अपनी दोनों आराजी पर मेडबंदी कर रास्ता बंद कर दिया

कालुलाल
भैरूलाल

है जिससे वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर नहीं पहुँच सकता है। पटवारी नक्शे नजरी के अनुसार आ.नं. 538 की तरफ 0.01.10 बिस्वा भूमि छोड़ते हुए आराजी नम्बर 539 में से 0.01 बीघा भूमि रास्ता दिया जा सकता है

आदेश

वादीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुये तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मैनरोप के आ.नं. 538 की पश्चिमी मेड़ के सहारे आ.नं. 539 के उत्तरी-पूर्वी मेड़ के साथ लगाते हुए 0.01 बीघा भूमि रास्ता वादीगण को दिया जाता है। वादीगण प्रतिवादीगण को D.L.C. दर से 2 गुणा भुगतान करेंगे। भुगतान करने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम करें। रास्ता सार्वजनिक रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार को पालना हेतु भेजी जावे।

आज दिनांक 25.6.2017 को कोर्ट कैम्प मैनरोप में निर्णय सरेआम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी।
रूपवास